न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 06/2015

A 1/16

वादीगण

1.नानूराम पुत्र रामूराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा

2.छोटुराम पुत्र रामूराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा
3.पदमाराम पुत्र खुबाराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा
4.शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा
5.चौथीदेवी पत्नी गंगाराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1.किशनाराम पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा
2.गोविन्दराम पुत्र गंगाराम जाति कुमावत निवासी हरितपुरा
3.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा इस्तकरार हक बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित — श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :— 27/7/15

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 284 रकबा 1.34 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर स्थित है । वादीगण एंव प्रतिवादीगण उपरोक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से भौतिक रूप से बंटवारा कर रखा है । उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसका राजस्व रिकार्डेड हिस्सा दर्ज नही हो रखा है । उपरोक्त भूमि में वादी संख्या 1 नानूराम 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 छोटुराम 1/4 हिस्सा व वादी सख्या 3 पदमाराम 1/4 व वादी संख्या 4,5 व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/4 हिस्सा पर काबिज होकर अपने अपने बंट की भूमि का बंटवारा कर इसी माफिक सींव नीव कायम करके अपने अपने हक हिस्से पर काश्त करते आ रहे है । जबकि पक्षकारान का हिस्सा शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं । पक्षकार उपरोक्तानुसार अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कर राजस्व रेकार्ड मे भूमि दर्ज कराना चाहते है । पक्षकारान की भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है इस बात की जानकारी पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने पर हुई । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सह हिस्सेदार होने से आवश्यक पक्षकार है व प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार है । वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 0.01 हैक्टर, व खसरा नम्बर 284 रकबा 1.34 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर मे से वादी सख्या 1

..................2..............

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

नानूराम 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 2 छोटुराम 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 3 पदमाराम 1/4 हिस्सा का, एवं वादी संख्या 4,5 शंकरलाल, चौथीदेवी व प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दराम 1/4 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है । इस आशय की स्पष्ट खातेदारी अधिकारो की घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावें ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दलाल द्वारा उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया । प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे , जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही की गई ।

वकील वादीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत चालू जमाबन्दी नकल सम्वत् 2067 से 2070 अनुसार ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 283 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 284 रकबा 1.34 हैक्टर चाही 3 में छोटूराम नानूराम पि. रामूराम शंकरलाल किशनाराम गोविन्दराम पि. गंगाराम चौथीदेवी पत्नी गंगाराम पदमाराम पुत्र खुबाराम जाति कुम्हार सा.खारिया खातेदार दर्ज है । प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दलाल ने वाद पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है । वकील वादीगण ने उपरोक्त भूमि में वादी संख्या 1 नानूराम 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 2 छोटुराम 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 3 पदमाराम 1/4 हिस्सा का, एवं वादी संख्या 4,5 शंकरलाल, चौथीदेवी व प्रतिवादी संख्या 1 किशनाराम प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दराम 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावें ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस एवं वाद–पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने से रामूराम के तीन पुत्र क्रमशः नानू ,छोटू व गंगाराम के वारिसान एवं एक हिस्सा पदमाराम पुत्र खुमाराम का होना प्रतीत होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 के इकबाली जवाब से न्यायालय का मत है कि वादीगण का वाद काबिल स्वीकार होने से निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है ।

आदेश

ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 283 रकबा 0.01हैक्टर खसरा नम्बर 284 रकबा 1.34 हैक्टर कुल रकबा 1.35 हैक्टर मे से वादी नानूराम पुत्र रामूराम 1/4 हिस्सा, छोटूराम पुत्र रामूराम का 1/4 हिस्सा, पदमाराम पुत्र खुबाराम का 1/4 हिस्सा व शंकरलाल पुत्र गंगाराम चौथीदेवी पत्नी गंगाराम किशनाराम गोविन्दराम पुत्र गंगाराम जाति कुमावत को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें । राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनॉक ...17/7/15... को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)